संख्या-5/1410/38-4-14-36(विविध)/2013टी0सी0

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2014**

विषय- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-13 एवं 83 की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0ओ0-115/सम्प्रेक्षा/लो0आ0यो0/2014-15, दिनांक-24 नवम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासों में सोलर पावर पैक, एल.ई.डी. लाइट्स तथा डी.सी.फैन की आपूर्ति स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-443/38-4-12-36(विविध)/2013टीसी, दिनांक-31 मार्च, 2014 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि रू0-1,32,66,03,200.00 में से अनुदान संख्या-13 एवं 83 में रू0-42.3794 करोड़ धनराशि के आहरण/व्यय किये जाने की अनुमति दी जा चुकी है । उक्त अवशेष धनराशि में से रू0-6872.003 लाख (रूपये अरसठ करोड़ बहत्तर लाख तीन हजार मात्र) को आहरित कर व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।
2- उतने ही आवासों के लिये धनराशि आहरित की जायेगी, जितने आवास वर्तमान में पूर्ण हो चुके है।
3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित फर्म द्वारा धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में 03 माह में कर लिया जायेगा। अन्यथा फर्म को नियमानुसार दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।
4- उक्त पी0एल0ए0 से आहरित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
5- पी0एल0ए0 से आहरित की गयी धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28-03-2013 में प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
6- पी0एल0ए0 से आहरित धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिये आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगे।
7- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

8- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा आहरित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

9- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-1208/दस-2014, दिनांक-22 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-5/1410(1)/38-4-2014, तद्दिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3- सम्बन्धित मण्डलों के संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0।
5- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- कोषागार, जिला कोषागार, लखनऊ।
7-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4
11- बजट प्रकोष्ठ/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
12- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in